न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 97/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/366

अनवान्

1. श्री सुरेश पिता नाथु डांगी निवासी नोरा सांगवा तहसील घासा।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री नाथु पिता हीरा डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा।
2. श्री पवन पिता नाथु डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा।
3. सरिता पुत्री नाथु डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तहसील घासा।
5. उप पंजीयक महोदय घासा तहसील घासा।
6. पटवारी, पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 29.09.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 1248, 1249, 1250, 1251, 1255, 1258, 1262, 1263, 1273, 1274, 1285, 1286, 1465, 1466, 1471, 1474, 1475, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1486, 1487, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1771, 1772, 1794 किता 43 कुल रकबा 11.9623 हेक्टेयर, परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1601 रकबा 0.7446 हेक्टेयर, परिशिष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 1488 रकबा 0.3723 हेक्टेयर एवं परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 1965, 1966, 1968, 1969 किता 4 कुल रकबा 1.2626 हेक्टेयर भूमियां वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 के पिता विपक्षी संख्या 1 श्री नाथु पिता हीरा डांगी एवं अन्य सहखातेदारान के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 आपस में पिता/पुत्र/पुत्री है। परिशिष्ट क की भूमियां में वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/36 हिस्से से एवं परिशिष्ट ख की कृषि भूमि 14/11169 हिस्से से एवं इसी तरह परिशिष्ट ग की कृषि भूमि 1/36 हिस्से से एवं परिशिष्ट घ की कृषि भूमि 1/42 हिस्से से खातेदारी में दर्ज हैं। उपरोक्त परिशिष्टों की कृषि भूमिया प्रार्थी एवं विपक्षीगण की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि (सम्पति) होकर उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी को जन्म से ही हक, स्वत्व, अधिकार होकर हिस्सा हैं। प्रार्थी उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि (सम्पति) का निहित हक हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हैं।

2. यह कि प्रार्थी का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

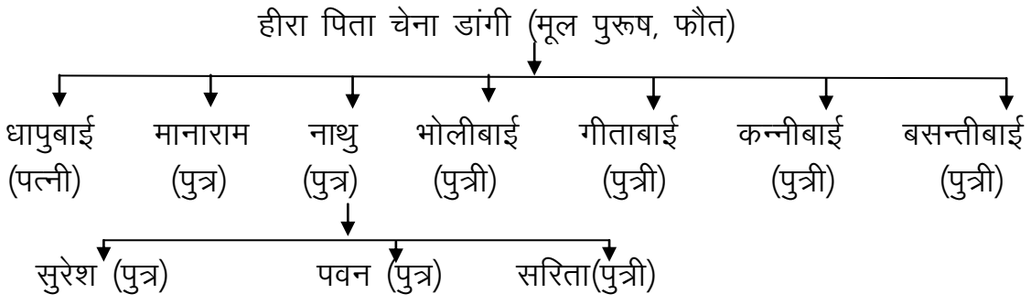

3. यह की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियां तत्कालीन समय में मुझ प्रार्थी के दादाजी मूल पुरूष श्री हीरा पिता चेना डांगी के संयुक्त स्वामित्व अधिकार आधिपत्य व कब्जे उपभोग में चली आ रही थी, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि (सम्पति) होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् मैं प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2, विपक्षी संख्या 1 के जायन्दा पुत्र/पुत्री अर्थात् विधिक वारिस होने से मुझ प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 व 3 को अपने पूर्वजो की उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त है तथा मुझ प्रार्थी का जन्म से ही हक स्वत्व अधिकार होकर हिस्सा है तथा मुझ प्रार्थी को जन्म से ही कानूनन हक स्वत्व अधिकार प्राप्त हो मुझ प्रार्थी का निहित हक हिस्सा है, प्रार्थी उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि (सम्पति) का निहित हक हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है तथा उक्त पैतृक कृषि भूमि मुझ वादी के निहित हक हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि का प्रार्थी निहित हक हिस्से अनुसार मालिक स्वामी है, उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी को जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त है, उक्त कृषि भूमि मुझ प्रार्थी के निहित हक हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में होकर मुझ प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि मुझ प्रार्थी की आजीविका का साधन है तथा मुझ प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि को काफी खर्चा कर आबाद किया हैं। विगत महिनों से विपक्षी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

1 भूमाफियाओं के सिखावे में आकर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि अन्य अजनबी व्यक्तियों को विक्रय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण खुर्द बुर्द कर एवं उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी के हक स्वत्व अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर निहित हक हिस्से, स्वत्व, अधिकार से हमेशा के लिए वंचित कर देने पर उतारू है, जिसका विपक्षी संख्या 1 अकेले को कोई विधिक अधिकार नहीं है कि वह मौरूसी पैतृक सम्पति में मुझ प्रार्थी के हक स्वत्व अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर मुझ प्रार्थी को हक हिस्से से वंचित कर दें।

5. यह कि मुझ प्रार्थी का मजबूत प्राइमाफेसी केस है तथा सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि मैं प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 का जायन्दा पुत्र हो विधिक वारिस हूं। विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि मुझ प्रार्थी की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि (सम्पति) होकर मैं प्रार्थी निहित हक हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हूं। विपक्षी संख्या 1 उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि को भूमाफियाओं व अजनबी व्यक्तियों को मौके पर लाकर विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर मुझ प्रार्थी के हक स्वत्व अधिकार को खत्म व वंचित कर अपने नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि विक्रय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने पर प्रयासरत है व मुझ प्रार्थी के हक हित को खत्म एवं वंचित कर मुझ प्रार्थी के हितों पर भारी कुठाराघात करने पर उतारू है और परिवारजन को भारी रंज व नुकसान पहंचाने पर उतारू है, जिसका विपक्षी संख्या 1 अकेले को कोई विधिक अधिकार नहीं है, यदि विपक्षी संख्या 1 अपने नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि भूमाफियाओं व अन्य अजनबी व्यक्तियों को विक्रय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द कर देगा व मुझ प्रार्थी के हक हितों को खत्म कर देगा तो मुझ प्रार्थी को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असंभव होगा, न्यायहित में हितों की रक्षा के लिए मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है कि विपक्षी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में अपने नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि को किसी अन्य को विक्रय अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व जारी फरमाई जावे। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से रंजिश व मुकदमेंबाजी बढ़ेगी व समय व धन का अपव्यय होगा जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी संख्या 1 को किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 02.08.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी के हक स्वत्व अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर मुझ प्रार्थी को मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में अपने हक हिस्से से महरूम रखने एवं राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित सम्पूर्ण हक हिस्सा कृषि भूमि अन्य अजनबी व्यक्तियों को विक्रय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द–बुर्द करने एवं रिकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति को परिवर्तित करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्व विपक्षी संख्या 1 इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है, प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 का जायन्दा पुत्र हो विधिक वारिस हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि में प्रार्थी की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि होकर उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही हक अधिकार होकर हिस्सा है तथा प्रार्थी उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि निहित हक हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हैं। विपक्षी संख्या 1 अपने नाम अंकित हक हिस्सा कृषि भूमि को ताफैसला मूल वाद के निर्णय तक किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द नहीं करे, न उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी के हक स्वत्व अधिकार को खत्म करें, विपक्षी संख्या 5 दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 6 रेकार्ड में अमल दरामद नहीं करे, विपक्षीगण रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाए रखें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विरूद्व विपक्षी संख्या 1 जारी फरमाई जावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

8. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है मौरूसी सम्पति में हमारा भी हक हिस्सा निहित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 नाथु व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1, प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2, 3 के पिता हैं। प्रार्थी द्वारा अपने पिता के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से अपने हिस्से की घोषणा चाही हैं। वादग्रस्त भूमि का विपक्षी सं. 1 HUF कर्ता खानदान होने से अपने नाम दर्ज भूमि का परिवार की जायज जरूरतों के लिए उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। इस कारण विपक्षी संख्या 1 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं होकर विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 खातेदार होने से अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार है यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1 को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा वादग्रस्त भूमि के उपयोग उपभोग, विकसित, ऋण आदि लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी खातेदार विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहता है। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे खातेदार के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा तथा खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 310 पर दर्ज आराजी नम्बर 1248, 1249, 1250, 1251, 1255, 1258, 1262, 1263, 1273, 1274, 1285, 1286, 1465, 1466, 1471, 1474, 1475, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1486, 1487, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1771, 1772, 1794 किता 43 कुल रकबा 11.9623 हेक्टेयर, खाता संख्या 736 पर दर्ज आराजी नम्बर 1601 रकबा 0.7446 हेक्टेयर, खाता संख्या 774 पर दर्ज आराजी नम्बर 1488 रकबा 0.3723 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 446 पर दर्ज आराजी नम्बर 1965, 1966, 1968, 1969 किता 4 कुल रकबा 1.2626 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 नाथु व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।

प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को अपनी पैतृक सम्पति होना बताकर हिस्से की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी वर्तमान में वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2, 3 के पिता विपक्षी संख्या 1 नाथु के नाम सहखातेदार के रूप में हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करने पर आमादा है परन्तु प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम विरासत के आधार पर वर्ष 2006 में दर्ज हुई थी जिसे आज लगभग 19 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हैं। यदि विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण करना चाहता तो अब तक कर चुका होता। प्रकरण वर्ष 2024 में दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें किसी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं थी यदि विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द हस्तान्तरण कर दिया होता तो प्रार्थी दस्तावेज पेश करता। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 द्वारा खुर्द बुर्द व हस्तान्तरण कर दी गई हो, ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में चार पीढीयों की जमाबन्दी पेश की जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि होकर पीढी दर पीढी दर्ज चली आ रही हो।

वर्तमान में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी संख्या 1 HUF कर्ता खानदान अपने नाम दर्ज भूमि का परिवार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

जायज जरूरतों के लिए उपयोग उपभोग, रहन, बैह, बक्षीस आदि करने का पूरा अधिकार हैं। वादग्रस्त भूमि का विपक्षी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे विपक्षी संख्या 1 को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा विपक्षी संख्या 1 को अपनी भूमि का विकास करने, ऋण आदि लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। चूंकि खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। इस प्रकार खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested